न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 174/2019 (25/2019)
GCMS NO. : 2019/00048

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गैरसायलान ::–
1. रामलाल पुत्र चौथाराम जाति–जाट निवासी खारचिया तहसील जैतारण जिला–पाली।		1. रूपाराम पुत्र पूनाराम 2. शिम्भूराम पुत्र पूनाराम 3. हुकमाराम पुत्र पूनाराम 4. अमराराम पुत्र पूनाराम 5. शोभा देवी पुत्री पेमाराम 6. उगराराम पुत्र फताराम 7. भंवरूराम पुत्र मुगनाराम के का. मु. 7/1. भंवराई पत्नी भंवरूराम 7/2. रामनिवास पुत्र भंवरूराम 7/3. शोभा देवी पुत्री भंवरूराम जातियान–जाट निवासीगण– ग्राम खारचिया तहसील जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 25/09/2019

उपस्थित:. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 से 6

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 29/03/2022**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायलान संख्या 1 से 7 की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा खारचिया पटवार हल्का कांवलिया कलां, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र आ0कालू, तहसील जैतारण, जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 47 रकबा 24–11 बिस्वा किस्म सेवज दोयम, खसरा नम्बर 109 रकबा 07–06 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सायल का 1/4 वां हक हिस्सा व अधिकार है तथा गैरसायलान संख्या 01 से लगायत 06 का 1/4 वां हक हिस्सा व अधिकार है। इसी माफिक गैरसायलान संख्या 7 भंवरू जी का 1/2 वां हक हिस्सा व अधिकार है। खसरा नम्बर 83 रकबा 08–16 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 405 रकबा 02–18 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 408 रकबा 04–07 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 413 रकबा 08–06 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 434 रकबा 23–08 बीघा किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

दोयम भूमि में सायल का 1/2 वां हक हिस्सा व अधिकार है तथा गैरसायल संख्या 01 से लगायत 06 का 1/2 वां हक हिस्सा व अधिकार है। इसी हिस्से माफिक सायल व गैरसायलान मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विवादित भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच बंटी हुई है। लेकिन भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कोई बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा राजस्व रेकर्ड में भी उक्त भूमि सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से गैरसायलान आये दिन इस भूमि के नाप-चौंप सीमा व माठ को लेकर सायल से विवाद करते रहे हैं तथा सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहता है एवं अपने हक हिस्से की भूमि की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहता है। लेकिन गैरसायलान उसमें भी विवाद करते है जिस पर सायल ने दिनांक 05.02.2019 को गैरसायलान से इस विवादित भूमि का आपसी सहमति से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने हेतु निवेदन किया जिस पर गैरसायलान संख्या 01 से 06 ऐसा बंटवाड़ा करवाने से इन्कार हो गये। जबकि सायल अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने का वैधानिक अधिकारी है लेकिन गैरसायलान उसमें सहमत नहीं है। उक्त भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से अलग-अलग बंटी हुई है। दिनांक 05.02.2019 को गैरसायलान ने इस विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने से इन्कार करते हुये सायल से एलानिया कथन किया कि वह मौके पर से सायल को पूरा ही बेकाबिज कर देगें तथा इस भूमि पर सायल को काश्त नहीं करने देगें इस प्रकार से यदि गैरसायलान उक्त दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही सायल इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेगा। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंगस होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अदालत श्रीमान् के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार सायल का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि सायल की पैतृक पुश्तैनी व शामलाती भूमि है जिसके प्रत्येक इंच व हिस्से पर सायल को हक अधिकार प्राप्त है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय व आदेश बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित [illegible] नम्बरान की भूमि में सायल के हक हिस्से की भूमि पर सायल [illegible] प्रकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य [illegible] में गैरसायलान स्वयं एवं उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 16:53:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। ऐसा करने से गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावे। ऐसा निर्णय बहक सायल विरूद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 7/1,7/2 व 7/3 बाद सम्मन सूचना के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल संख्या 1 से 6 ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। गैरसायल संख्या 1 से 6 ने अपने जवाब प्रा.पत्र में कथन किया कि प्रार्थनापत्र का पद संख्या 01 सही होने से स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि आपसी सहमति से पक्षकारों में बटी हुई होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि शामलाती कृषि भूमि है जिस पर सभी काश्तकार काश्त करते आ रहे है। जब तक बंटवाड़ा नही हो जाता सायल को शामलाती कृषि भूमि पर किसी प्रकार की तारबन्दी, मेड़बन्दी, जाली लगाने का अधिकार नहीं है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 03 में वर्णित तथ्य वादग्रस्त भूमि सायल एवं गैरसायल संख्या 1 से 7 की संयुक्त शामलाती है, सही होने से स्वीकार है। उपरोक्त कृषि भूमि का आपसी सहमति से मौके पर कोई बंटवाड़ा नही किया गया है। सभी खातेदार अपने–अपने हिस्सों पर काश्त करते है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। सायल किसी प्रकार से कोई प्रथमदृष्टया मामला साबित नहीं है। सायल को कोई किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है, क्योकि प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यानुसार सायल अपने हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त कर रहा है। सायल का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थनापत्र आधारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। सायल गैरसायलान को उनके कब्जेकाश्त की कृषि भूमि पर काश्त करनें व काश्त से संबंधित कार्य करने में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रुकवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः**– [illegible] प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रा[illegible] द्वारा सायल एवं गैरसायलान की शामलाती संयुक्त सह–खातेदारी भूमि [illegible] संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए प्रस्तुत किया जो जैरकार है। सायल/प्रार्थी द्वारा दौराने वाद विचारण गैरसायलान/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी ने यह कथन किया है कि प्रार्थी अपने हक–हिस्से की भूमि को अधिक उपयोगी बनाना चाहता है व सुरक्षा प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहता है जिसमें गैरसायल विवाद करते है। गैरसायलान/अप्रार्थीगण ने सायल/प्रार्थी के उक्त कथन का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि जब तक बंटवाडा नहीं हो जाता सायल को शामलाती कृषि भूमि पर किसी प्रकार की तारबंदी, मेड़बंदी, जाली लगाने का अधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072–2075 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अविभाजित शामलाती सह–खातेदारी भूमि है। अविभाजित संयुक्त शामलाती सह–खातेदारी आराजी के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि शामलाती आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह–खातेदार का स्वामित्व व कब्जा माना जाता है। अतः अविभाजित शामलाती आराजी में किसी विशिष्ट भू–भाग के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला किसी एक सह–खातेदार के पक्ष में निहित होना नहीं माना जा सकता। साथ ही प्रार्थी यह साबित करने में पूर्णतया विफल रहे है कि संयुक्त शामलाती आराजी में किस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला केवल प्रार्थी के पक्ष में है जबकि गैरसायलान का भी विवादित भूमि पर माफिक भू–अभिलेख हक–अधिकार निहित है। अतः प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने में विफल रहे है। फलतः प्रथम दृष्टया मामला सायल/प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुआ है। साथ ही पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि शामलाती सह–खातेदारी भूमि है। शामलाती सह–खातेदारी भूमि में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। प्रार्थी ने स्वयं द्वारा विभाजन से पूर्व शामलाती आराजी के किसी विशिष्ट भू–भाग पर तारबंदी, जाली लगाना चाहने के कथन किये है। प्रार्थी के उक्त कृत्य से शामलाती आराजी के अन्य सह–खातेदारों अप्रार्थीगण को, प्रार्थी की तुलना में अधिक असुविधा होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि अविभाजित, शामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर समान हक–अधिकार निहित होता है। प्रार्थी ने भी उक्त तथ्य का खण्डन नहीं किया। गैरसायलान ने यह कथन [illegible] कि सायल अपनी हिस्से की कृषि भूमि पर काश्त कर [illegible] क्षति होने की संभावना नहीं है। गैरसायलान [illegible] –पत्र में अंकित तथ्यों,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

तर्कों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि शामलाती अविभाजित विवादित भूमि के संबंध में यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी ? जबकि अप्रार्थीगण भी विवादित भूमि के सह–खातेदारान है एवं यदि बिना किसी आधार के खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति कारित होने की पूर्ण संभावना है। अतः यह बिन्दू भी सायल/प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 29/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.05.19 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested